(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग–**III**, खंड–4 में **प्रकाशित**)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 56 **नई दिल्ली**, 13 अप्रैल, 2009

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार, अंतर्राष्ट्रीय सी–पोटर्स (हल्दिया) प्राइवेट लिमिटेड में मौजूदा दरमानों की वैधता को विस्तारित करता है।

(अरविन्द कुमार)
सदस्य

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/37/2005–आईएसएचपीएल

आदेश

(मार्च, 2009 के 27वें दिन पारित)

इस प्राधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 25 जनवरी 2007 द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सी–पोटर्स (हल्दिया) प्राइवेट लिमिटेड (आईएसएचपीएल) के दरमान 31 मार्च 2009 तक वैधता अवधि के साथ अधिसूचना सं. 46 दिनांक 22 फरवरी 2007 द्वारा अधिसूचित किए थे।

2. प्रशुल्क दिशा–निर्देश, 2005 का खंड 3.1.2 महापत्तनों और वहां पर निजी टर्मिनल प्रचालकों से अपेक्षा करता है कि मौजूदा प्रशुल्क की समीक्षा के लिए उनका प्रस्ताव उसकी वैधता की समाप्ति से कम से कम 3 महीने पहले अग्रेषित किया जाए। आईएसएचपीएल के मामले में, मौजूदा प्रशुल्क की समीक्षा के लिए प्रस्ताव 31 दिसम्बर, 2008 तक दाखिल कर दिया जाना चाहिए था।

3. इस संबंध में जब अनुस्मरण करवाया गया तो आईएसएचपीएल ने अपने पत्र दिनांक 30 जनवरी 2009 द्वारा अपने दरमान के सामान्य संशोधन के लिए अपना प्रस्ताव दाखिल किया था। चूंकि आईएसएचपीएल द्वारा दाखिल किया गया प्रस्ताव निजी टर्मिनलों द्वारा प्रशुल्क प्रस्ताव दाखिल करने के लिए इस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रारूप में नहीं था, इसलिए आईएसएचपीएल को इस प्राधिकरण के पत्र दिनांक 17 फरवरी 2009 और अनुस्मारक दिनांक 13 मार्च 2009 द्वारा सलाह दी गई है कि निर्धारित प्रारूप में अपने दरमान के सामान्य संशोधन के लिए अपना प्रस्ताव दाखिल करे।

4. चूंकि आईएसएचपीएल के मौजूदा दरमानों की वैधता 31 मार्च 2009 को समाप्त हो रही है, इसलिए यह प्राधिकरण आईएसएचपीएल के मौजूदा दरमानों की वैधता को 31 मार्च 2009 के बाद के लिए विस्तारित करने हेतु प्रवृत्त है।

5. अतः आईएसएचपीएल के मौजूदा दरमानों की वैधता 31 जुलाई, 2009 तक अथवा दरमानों के सामान्य संशोधन के लिए आईएसएचपीएल द्वारा दाखिल (किए जाने वाले) प्रस्ताव पर पारित (किए जाने वाले) आदेश के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख तक, जो भी पहले हो, विस्तारित की जाती है।

6. यदि 1 अप्रैल 2009 के बाद की अवधि के लिए स्वीकार्य लागत और अनुमत प्रतिलाभ से अधिक कोई अतिरिक्त अधिशेष प्रकट होता है तो इसके निष्पादन की समीक्षा के दौरान, ऐसा अतिरिक्त अधिशेष निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में पूर्णतः समायोजित किया जाएगा।

(अरविन्द कुमार)
सदस्य